लगभग 17 लाख श्रमिकों को जारी की जाएंगी अस्थाई पात्रता पर्चीः राजपूत

भोपाल (काप्र)।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि ऐसे श्रमिक जिन्होंने अपूर्ण पते दिये है अथवा दिये गये पते पर निवास नहीं है, उन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी। अस्थाई पात्रता पर्ची लगभग 17 लाख श्रमिकों को जारी की जाएंगी। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक याचिका में पारित आदेश के परिपालन में की जा रही है। मार्च 2024 तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के डेटा के आधार पर ये अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाएंगी।

आयुक्त खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सिबि चक्रवर्ती ने जानकारी दी है कि अस्थाई पात्रता भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर जारी की जायेगी। इसमें श्रमिक का यूएएन नम्बर, श्रमिक का नाम, जिले का नाम, पता, पिनकोड नम्बर और मोबाईल नम्बर का विवरण उपलब्ध होगा।

ई-श्रम पोर्टल पर केवल श्रमिक का ही पंजीयन होता है। परिवार के शेष सदस्यों की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इसलिये अस्थाई पात्रता पर्ची केवल एक श्रमिक की ही जारी की जाएगी। जिसके नाम से भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन है।

अस्थाई पात्रता पर्ची, यूएएन नम्बर से डॉउनलोड करने की सुविधा राशन मित्र पोर्टल के डीएससी/ डीएसओ/ जेएसओ/ स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय के लॉगइन पर उपलब्ध रहेगी। श्रमिक अपने ई-श्रम कार्ड के साथ जब अपनी पात्रता पर्ची डीएससी/ डीएसओ/ जेएसओ / स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में लेने जाएगा तब संबंधित कार्यालय के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा राशन मित्र पोर्टल पर श्रमिक के यूएएन नबंर से अस्थाई पर्ची को सर्च करेगा। सर्च करने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया अनुसार वैध दस्तावेज (परिवार समग्र आई, आधार कार्ड एंव पात्रता संबंधी दस्तावेज) आदि को राशन मित्र पोर्टल पर दर्ज करते हुये सत्यापन करेगा। तत्पश्चात श्रमिक की स्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। श्रमिक का सत्यापन एवं स्थाई पात्रता पर्ची जारी होने के बाद ही राशन सामग्री की पात्रता होगी।

गांधी मेडिकल कॉलेज 1969 बैच के पूर्व विद्यार्थियों का मिलन समारोह आज से

भोपाल (काप्र)। ग्रेसिस रिजॉर्ट सीहोर रोड पर वर्ष 1969 बैच के जीएमसी,भोपाल के पूर्व विद्यार्थियों का मिलन समारोह 9 और 10 नवंबर को हो रहा है. इनमें डॉ गौरी शंकर शेजवार,डॉ के एस बुधवानी, डॉक्टर डी के सत्पथी सहित सैकड़ो पूर्व छात्र भागीदारी कर रहे हैं। देश विदेश से चिकित्सा विशेषज्ञों का आना प्रारंभ हो गया है। अनेक पूर्व चिकित्सा और चिकित्सा विशेषज्ञ एल्यूमिनी मीट में हिस्सा ले रहे हैं। मिलन समारोह 9 नवंबर को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ हो जाएगा।

एम्स में इंटर-कॉलेज फार्माकोलॉजी क्विज़ का आयोजन

भोपाल (काप्र)। एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रो. अजय सिंह के मार्गदर्शन में फार्माकोलॉजी विभाग ने इंटर-कॉलेज फार्माकोलॉजी क्विज़ के आठवें संस्करण का आयोजन किया। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता भारत भर के मेडिकल कॉलेजों और सभी एम्स संस्थानों से एमबीबीएस छात्रों को एक मंच प्रदान करने के लिए आयोजित की गई थी, ताकि वे फार्माकोलॉजी के क्षेत्र में अपनी जानकारी और कौशल का प्रदर्शन कर सकें। क्विज़ प्रतियोगिता की शुरुआत ऑनलाइन स्क्रीनिंग राउंड से हुई थी, जो 10 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इस राउंड में देशभर के मेडिकल कॉलेजों से कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो 20 टीमों में बंटे थे।

मध्यप्रदेश कैडर के 11 आईपीएस अधिकारियों द्वारा

राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम डायल -100 एवं सीसीटीव्ही कंट्रोल रूम का भ्रमण

भोपल (काप्र)। मध्यप्रदेश कैडर के 76 आरआर बैच के 11 परिवीक्षाधीन आईपीएस अधिकारियों द्वारा राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-100 का भ्रमण किया गया। ये अधिकारी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भौंरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

भ्रमणकर्ता अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) आदर्श कटियार तथा उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार) आशुतोष प्रताप सिंह से भेंट कर उनसे डायल -100 सेवा एवं सी.सी.टी.व्ही. कन्ट्रोल रूम के बारे में जानकारी प्राप्त की। भ्रमणकर्ता अधिकारियों को डायल-100 टीम द्वारा डायल -100 सेवा का विस्तृत कम्प्यूटर प्रेजेंटेशन देकर राज्य स्तरीय डायल-100 कंट्रोल रूम के कॉलटेकर कक्ष, डिस्पेचर कक्ष, सर्वर रूम आदि का भ्रमण कराया तथा उनमें होने वाली कार्यवाही से अवगत कराया गया।

भ्रमणकर्ता अधिकारियों द्वारा सीसीटीव्ही कन्ट्रोल रूम का भ्रमण किया गया जहाँ सीसीटीवी सर्विलेंस योजना की सम्पूर्ण जानकारी दी गई एवं उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की जानकारी दी गई।भ्रमण कार्यक्रम के समय पुलिस अधीक्षक डायल-100 श्रीमती बीना सिंह, पुलिस अधीक्षक (रेडियो) एच.एन.अहिरवार, एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

भारतीय डाक विभाग का दो दिवसीय सम्मेलन प्रारंभ

भोपाल (काप्र)।

मध्यप्रदेश डाक परिमंडल के राजपतित्रत अधिकरियों का दो दिवसीय सम्मेलन आज बरखेड़ा स्थित एक निजी होटल में प्रारंभ हुआ। कार्य क्रम की अध्यक्षता एमबी तिजारे पूर्व सहायक पोस्टमास्टर जनरल ने कीञ कार्यक्रम में मप्र के विभिन्न अंचलों से अधिकारियों ने शिरकत की।

इंदौर क्षेत्र से जेपी बजाज की अगुवाई में अधिकारी शामिल हुए। जबलपुर क्षेत्र से जेपी कटारे की अगुवाई में उज्जैन क्षेत्र से केएस तोमर, आरके चौरसिया, प्रवीण बहुल्कर तथा भोपाल सहित प्रदेश के राजपत्रित अधिकारियों ने शिरकत की। अधिकारियों के साथ ही महिला शक्ति ने भी बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।

केके चंदेल की अगुवाई में भेपाल की आयोजित समिति ने सभी आगुंतकों का तिलक और माल्यार्पण से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान दयाराम मंडल, पूर्व सहायक पोस्टमास्टर जनरल को उनके फिलेटली में अभूतपूर्व योगदान के लिए तथा शोसल वर्क के लिए एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर सम्मानित किया गया। महिला शक्ति की ओर से श्रीमती लक्ष्मी चौकसे को उनकी कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका के लिए सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौराचन डीसी भावसार और भगवती चौबे ने कविता प्रस्तुत की। एससी तिवारी ने बुंदेली आल्हा गायन, जेपी कटारे व दयारा मंडल ने भी सभा को उद्‌बोधन किया।

भारतीय स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केन्द्र द्वारा योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

भोपाल (काप्र)। शुक्रवार 8 नवंबर को भारतीय स्टेट बैंक ज्ञानार्जन केन्द्र द्वारा आज बैंक के प्रशिक्षु अधिकारीगण एवं कर्मचारियों के लिए योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षण योग गुरु महेश अग्रवाल द्वारा दिया गया। इस अवसर पर केन्द्र निदेशक मिस तूलिका टंडन ने कहा कि किसी भी कार्य क्षेत्र में मनुष्य की प्रगति के लिए न केवल उसको शारीरिक रुप से स्वस्थ होना चाहिए, बल्कि उसका मानसिक रुप से स्वस्थ होना भी अनिवार्य है। इस अवसर पर प्रमुख रुप से धीरज कुमार गनवानी मुख्य प्रबंधक संकाय सहित बैंक के प्रशिक्षु अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहें।

कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

प्रदेश को वन्य प्राणियों की कब्रगाह बनने से रोकने के लिए ठोस कदम की जरूरतःसंगीता

भोपाल (काप्र)। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री संगीता शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर हाथियों की मौत मामले में सरकार से कुछ ठोस कदम उठाए जाने और वन्यजीव तस्करों पर भी कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सुश्री शर्मा ने कहा कि बांधवगढ़ के जंगलों में 10 हाथियों की मौत का ठीकरा प्रारंभिक रिपोर्ट में भले कोदो के सिर मढ़ दिया गया है पर बड़ी ही चालाकी से प्रदेश सरकार और सम्पूर्ण वन विभाग ने मामले को डायवट करने कोशिश की है, जो विभाग की नाकामी को इंगित करता है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आखिरकार मुख्यमंत्री को हाथियों की मौत की असली वजह को सार्वजनिक करने में कौन रोक रहा है? आखिर आप को किस बात का डर है? सुश्री शर्मा ने कहा कि मप्र सरकार की हीलाहवाली के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी हाथियों की मौत पर रिपोर्ट मांगी है। इनके लिए हाथियों की मौत से ज्यादा सरकारी इवेंट महत्वपूर्ण था ? वहीं भ्रष्ट वन महकमा और उसके जिम्मेदार अफसरान अपनी ही धुन में मस्त थे। सुश्री शर्मा ने कहा कि सरकार की नाकामी का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि विगत 3 साल में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 93 बाघों की मौत होने पर भी सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया? क्या सरकार वन्यप्राणी तस्करों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है? यदि नहीं तो इतने बड़े स्तर पर बाघ और हाथियों की मौत पर महज टास्कफोर्स बनाने और 2 अफसरों को निलंबित करने की खानापूर्ति कर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं करते ? सुश्री शर्मा ने कहा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की घटना के बाद तो ऐसा लगने लगा है कि मध्यप्रदेश वन्य प्राणियों की कब्रगाह बनता जा रहा है। पहले नामीबिया से आए चीतों की लगातार मौत फिर बाघों की मौत, सिवनी में 54 गोवंश के कटे हुए शव मिले किसी का गला रेता, किसी के पैर कटे मिले थे और अब हाथियों की मौत देख कर तो यही लगने लगा है कि मध्यप्रदेश सरकार ही तो वन्यप्राणी तस्करों के साथ तो नहीं मिली है।? उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से आग्रह है किया है कि मध्यप्रदेश को वन्य प्राणियों की कब्रगाह बनने से पहले कुछ ठोस कदम उठाए तथा तस्करों के लिए भी ठोस कार्रवाई करें।

पेज एक से जारी खबरों के शेष...

सिर्फ दिखावे के लिए...

हटा दिया जाए। ये लोग चाहते हैं कि दलितों को, वाल्मिकी समाज को जो आरक्षण 25 साल बाद मिला है, उसे छीन लिया जाए। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि जनता भी इनकी असलियत जान गई है। महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है, एक तरफ महायुति का घोषणा पत्र है, तो वहीं दूसरी तरफ महाअघाड़ी का घोटाला पत्र है। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने कांग्रेस की हरकतों के कारण उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस अब ऑल इंडिया कांग्रेस नहीं बची! कांग्रेस अब परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी अब केवल बैसाखियों पर ही जिंदा है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो। ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस दूसरी पार्टियों के सहारे ही चुनाव लड़ने की हालत में है। क्योंकि ये पक्का है, जहां कांग्रेस और उसके साथी होंगे, वहां घोटाला होगा ही होगा। ये लोग ऐसी योजनाओं की घोषणा करते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार हो सके। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के रहते ओबीसी कभी इतना एकजुट नहीं हो पाया। ओबीसी को आरक्षण भी तभी मिला जब कांग्रेस सरकार हटी। नेहरू जी के समय में कांग्रेस ने ओबीसी को अलग-अलग जातियों में बांटकर रखा, फिर इंदिरा गांधी का भी वही रवैया रहा और राजीव गांधी का भी वही हाल रहा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कभी ओबीसी को एकजुट नहीं होने दिया और 90 के दशक में जैसे की ओबीसी एकजुट हुआ और जैसे ही ओबीसी ताकतवर बना वैसे ही कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बननी बंद हो गई। उन्होंने कहा कि इसलिए कांग्रेस में ओबीसी को लेकर गुस्सा है। कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी समाज को कमजोर कर दो, उसकी एकजुटता को समाप्त कर दो। कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि ओबीसी समाज कमजोर होगा, तभी कांग्रेस के लिए सत्ता रास्ता खुलेगा। इसलिए कांग्रेस ओबीसी को बांटकर उसमें दरार पैदा करना चाहती है।

सार्वजनिक रूप से सावरकर...

दुर्व्यवहार किया। मोदी ने आगे कहा कि आज 8 नवंबर है। मैंने चुनौती दी है। अब मैं दिन गिनूंगा। एमवीए सहयोगियों को कांग्रेस नेताओं या उनके युवराज को सावरकर की प्रशंसा में 15 मिनट तक बोलने दें। उन्होंने सवाल किया कि उद्धव की पार्टी कांग्रेस के साथ कैसे गठबंधन कर सकती है, जो न तो सावरकर का सम्मान करती है और न ही बालासाहेब का। ऐसा कहकर उनका उद्‌देश्य इस मुद्‌दे पर एमवीए में दरारें पैदा करना है क्योंकि गांधी ने अतीत में सावरकर के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की है।

कांग्रेस और सोरेन ने...

लगाया। इसके अलावा झामुमो और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए राज्य में हिंदुओं की घटती आबादी के पीछे होने का आरोप लगाया। पांकी में जनसभा को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा कि जब रामलला का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा था। हेमंत सोरेन कभी गए क्या? इनकी पत्नी को भेजा क्या? कोई एक कांग्रेसी अप्पू चप्पू उनके भाई-बहन कोई गया क्या? कोई नहीं गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वोटिंग वाले दिन इतनी ताकत से बटन दबाना कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। लातेहार में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्हें लगता है कि जनता मूर्ख है। आपका वोट एक नया सवेरा लाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड नंबर एक राज्य बनेगा। कांग्रेस और राहुल पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं, जिनकी दादी ने आपातकाल लगाया था, ये नकली गांधी अपने ही लोगों का अपमान करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता ने मन बना लिया है, वह चुनाव में जीतने वाले नहीं हैं।

एएमयू विवादः सुप्रीम...

दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने अपने-अपने असहमति वाले फैसले दिए। बहुमत के आधार पर फैसला देने वाले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा कानून द्वारा बनाए जाने के कारण खत्म नहीं होता। अदालत ने बहुमत के फैसले में कहा कि किसी संस्थान को सिर्फ इसलिए अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह संसदीय कानून द्वारा स्थापित किया गया है। अदालत ने कहा ऐसी स्थापना और अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह साबित करना भी जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक संस्थान का प्रशासन ऐसे अल्पसंख्यक समूह के पास है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर देना चाह सकते हैं और इसके लिए प्रशासन में अल्पसंख्यक सदस्यों की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष अदालत ने फैसले की घोषणा के साथ ही मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया ताकि 2006 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न मुद्‌दे पर निर्णय लिया जा सके, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उसके अल्पसंख्यक दर्जा से वंचित कर दिया था। पीठ ने कहा कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का मुद्‌दा अब एक नियमित पीठ द्वारा तय किया जाना है, ताकि तथ्यात्मक निर्धारण किया जा सके कि क्या इसे अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1967 में एस अज़ीज़ बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। वर्ष 1981 में संसद द्वारा एएमयू (संशोधन) अधिनियम पारित किए जाने पर इसका अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनवरी 2006 में 1981 के कानून के उस प्रावधान को रद्‌द कर दिया था, जिसके तहत विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था।

भाजपा प्रत्याशी के रिश्तेदार बीएलओ को तत्काल हटाने की मांग

भोपाल,(काप्र)। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने चुनाव आयोग को शिकायत प्रेषित करते हुये विधानसभा उप चुनाव विजयपुर जिला श्योपुर में भाजपा प्रत्याशी के रिश्तेदार रामगोपाल रावत (शिक्षक) बीएलओ मतदान केन्द्र 314 को तत्काल हटाए जाने की मांग की है।

श्री धनोपिया ने कहा कि विजयपुर विधानसभा उप चुनाव क्षेत्र से भाजा द्वारा वन मंत्री श्री रामनिवास रावत प्रत्याशी है, जिनके द्वारा राजनीतिक प्रभाव के चलते अपने सगे रिश्तेदार रामगोपाल रावत (शिक्षक) को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र 314 पर बीएलओ नियुक्त किया गया है जो विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बांसरैया, ग्राम ककुराचोर, दौलतपुर, बीलगढ़ा के मतदाताओं के घर जाकर मतदाता पर्ची बांटने के नाम पर, शराब, पैसा बाट कर भाजपा के प्रत्याशी रावत के पक्ष मतदान करने हेतु प्रलोभन दे रहे है तथा मतदाता पर्चिया भी कांग्रेस समर्थित मतदाताओं को चिन्हित कर वितरित नहीं की जा रही है।

निलंबित अधिकारी गोरछिया के चुनाव पर रोक लगाने की मांगः प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने चुनाव आयोग को शिकायत प्रेषित करते हुए विजयपुर विधानसभा उप चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे शासकीय अधिकारी (निलंबित) रामप्रसाद गोरछिया के चुनाव पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विजयपुर विस क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में रामप्रसाद प्रभारी मुख्य कार्यालन अधिकारी, जनपद पंचायत डबरा जिला ग्वालियर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे है। गोरछिया निलंबित शासकीय अधिकारी है जो कि किसी भी प्रकार से विधानसभा चुनाव लड़ने के पात्र नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि विजयपुर के निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा किया गया, यहां तक कि उनको चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है।

बैरागढ़ में हादसा, तीन कपड़ा दुकानों में लगी आग

भोपाल (हिनप्र)। बैरागढ़ में तीन कपड़ा दुकानों में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ। आग शॉर्ट सर्किट होने से लगी। घटना मुख्य मार्ग पर शुक्रवार सुबह पांच बजे हुई। संतनगर व राजधानी से आई दमकलों ने आग पर काबू पाया।

उपनगर में मेन रोड पर मोहिनी टेक्सटाइल्स है, जिसके पास लगी डीपी से चिंगारी को आग का कारण माना जा रहा है। अनुमान है डीपी से उठी चिंगारानी से मोहिनी टेक्सटाइल्स में आग लगी इसके बाद बाद पास की दो और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।

वक्त सुबह 5ः00 का था। हादसे की सूचना मिलने पर दुकान मालिक और व्यापारी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। आग को बुझाने के लिए बैरागढ़, फतेहगढ़, गांधीनगर समेत अन्य फायर स्टेशनों से करीब एक दर्जन दमकलों को आना पड़ा।

भोजपुरी समाज ने छठ पर किया दीपदान

भोपाल (हिनप्र)। सीहोर नाका विसर्जन घट पर भोजपुरी समाज ने छठ पर्व मनाया। शुक्रवार को सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का समापन हुआ। दीपदान कर छठ मइया की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में अखिल भारतीय सिंधी समाज के संरक्षक प्रकाश मीरचंदानी ने समाज को पर्व की बधाई दी। मीरचंदानी ने कहा कि सभी धर्मों एवं समाज के लोगों की घाट पर उत्सवी माहौल को साथ लेकर देश को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित करने की दिशा में अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि आज देश की जो परिस्थितियां हैं, उसमें हिन्दुओं का एकजुट होना न केवल हिन्दु समाज बल्कि देश के लिए भी बहुत जरूरी है।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने वीडियो कालिंग के जरिए भोजपुरी समाज को छठकी शुभकामनाएं दीं।

नाम संबंधी सार्वजनिक सूचना

मैं, मुकेश कुमार खैरवाल (MUKESH KUMAR KHAIRWAL) पुत्र श्री राधेलाल खैरवाल निवासी मकान नं. 01, नागपुर रोड, मराठा मोहल्ला, बाजार चौक, ग्राम प्रभात पट्टन तहसील मुलताई, जिला बैतूल म.प्र. पिन कोड-460665. मेरा सही नाम मुकेश कुमार खैरवाल (MUKESH KUMAR KHAIRWAL) है, मेरी पत्नी का सही नाम सपना यादव (SAPNA YADAV) है, मेरी पुत्री का सही नाम नैना (NAINA) है, मेरे पुत्र का सही नाम हर्षवर्धन खैरवाल (HARSHVARDHAN KHAIRWAL) है, जो कि सही व सत्य है, इसी नाम से भविष्य में भी जाने एवं पहचाने जायेंगे। मेरे द्वारा उपरोक्त संदर्भ में शपथ पत्र भी निष्पादित कराया गया है जो नोटरी पंजीयन क्र. 80, 82, 84, 85 पर दर्ज है। सूचित किया जाता है।

2453

मुकेश कुमार खैरवाल
(MUKESH KUMAR KHAIRWAL)

कार्यालय थाना प्रभारी थाना ऐशबाग जिला भोपाल

फोन नं. 0755-2677353E-Mail psaishbagh@gmail.com

जाहिर सूचना

थाना ऐशबाग भोपाल मर्ग क्रमांक 32/2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11/06/24 को सूचक सुल्तान पिता मोह. बशीर खान उम्र 35 साल निवासी गनी भाई की बेकरी के पास बाग फरहत अफजा ऐशबाग भोपाल ने थाना उपस्थित आकर सूचना दिया कि मैं उक्त लिखाये पते पर रहता हूँ तथा कबाड़ा बीनने का काम करता हूँ। दिनांक 11/06/2024 के रात करीब 10.30 बजे की बात है मैं कबाड़ा बीनता हुआ मुकद्दस नगर होते हुये जा रहा था तभी देखा कि मुक़द्दस नगर के सामने रेल्वे पटरी पर लोगो की भीड़ भाड़ लगी थी मैंने पास जाकर देखा तो रेल्वे पटरी पर खम्मा नं. 834/2 मेट्रा रेल्वे पुल के पास एक व्यक्ति (पुरूष) उम्र करीबन 30-35 वर्ष जिसके सिर पर चोट दिख रही है, नाक पर खून लगा है एवं दाहिने पैर में चोट लगी है। उस अज्ञात व्यक्ति पुरूष का हुलिया रंग गेहुंआ, चेहरा लम्बा, बाल सामान्य, जो सफेद रंग की शर्ट जिस पर पीले रंग की धारियां, ग्रे रंग का हाफ पेंट जिस पर सफेद धारियां है, लोवर के अंदर एक काले रंग का हाफ पेंट जैसा पहने है। जिसकी ट्रेन की चपेट में आने के कारण मृत्यु हो गई है। जिसकी सूचना देने थाना आया हूँ सूचक कि सूचना पर मर्ग सदर का कायम कर जांच में लिया गया अज्ञात मृतक की बारीकी से तलाशी ली थी कोई सामान एवं पता संबंधी दस्तावेज नहीं है कि सूचना पर मर्ग क्र.32/24 कायम कर जाँच में लिया गया है।

थाना प्रभारी
थाना ऐशबाग भोपाल

जी-18630/24

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 02280203201506 1-APP-22498614

इश्तहार

आवेदक नुपूर तिवारी आ. शैलेन्द्र तिवारी निवासी अरेरा कॉलोनी, भोपाल म.प्र. द्वारा ग्राम दामखेड़ा स्थित खसरा नंबर 69, 70, 72 क्षेत्रफल 1500 वर्गफि ट का अक्स बटान किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 18/11/24 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 04/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील तहसीलदार
तहसील-कोलार, जिला-भोपाल

2452

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 022802032015061 -APP-22498498

इश्तहार

आवेदक वंदना तिवारी पत्नी शैलेन्द्र तिवारी निवासी भोपाल, अरेरा कॉलोनी, द्वारा ग्राम दामखेड़ा स्थित खसरा नंबर 69, 70, 472 क्षेत्रफल 1500 वर्गफि ट का अक्स बटान किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 18/11/24 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 04/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील तहसीलदार
तहसील-कोलार, जिला-भोपाल

2451

कार्यालय राजस्व निरीक्षक नजूल वृत्त एम.पी.नगर भोपाल

(7 नम्बर बस स्टॉप शिवाजी नगर भोपाल)

क्रमांक Q/**रा.नि.वृ./.../2024-25**

भोपाल, दिनांक 08/11/2024

सूचना-पत्र

प्रति, नाम-1. अंजना सक्सेना पति संजय सक्सेना, 2. गीता यादव पति एस.एस. यादव। **विषय**- भूमि का सीमांकन किये जाने बावत। **संदर्भ**- प्रकरण क्रमांक 0158/अ-12/24-25 के पालन में। विषयांकित संदर्भित के संबंध में आवेदक श्री/श्रीमती करमजीत कौर पिता/पति रछपाल सिंह, निवासी 116 गुरूनानकपुरा, रायसेन रोड पटेल नगर द्वारा खजूरीकलां की भूमि खसरा क्र. 460/11, 458/901 रकबा 0.117 का सीमांकन हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 18/11/24 को समय...बजे विषयांकित संदर्भित आदेश के पालन में किया जाना है। आपको आवेदक एवं पड़ोसी भूमि स्वामी होने के कारण सूचित किया जाता है कि नियत तिथि एवं समय पर मौके पर उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी। **नोट**:-अपरिहार्य कार्य की दशा में सीमांकन की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। दि.8.11.24

राजस्व निरीक्षक
तहसील-कोलार जिला-भोपाल

2450

कार्यालय राजस्व निरीक्षक नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल

(7 नम्बर बस स्टॉप शिवाजी नगर भोपाल)

क्रमाक /रा.नि.वृ/........2023-24

भोपाल दिनांक 8/11/24

सूचना पत्र

प्रति, नाम-1. दिलीप गुप्ता, संजय सक्सेना, अंजना सक्सेना, गीता यादव पति एस.एस यादव मो 9179335370 **विषय**-भूमि का सीमांकन किये जाने बाबत्। **संदर्भ**- प्रकरण क्रमांक 0157/अ-12 /24-25 के पालन में। विषयांकित संदर्भित के संबंध में आवेदक श्री/श्रीमती करमजीत कौर (बालाजी होम्स)/अंजना सक्सेना पिता/पति रछपाल सिंह, संजय सक्सेना निवासी 116 गुरूनानकपुरा, रायसेन रोड भोपाल द्वारा खजूरीकलां की भूमि खसरा क्र. 460/11, 901/458 रकबा 0.117 हेक्टर सीमांकन हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 18/11/24 को समय...... बजे विषयांकित संदर्भित आदेश के पालन में किया जाना है। आपको आवेदक एवं पड़ोसी भूमि स्वामी होने के कारण सूचित किया जाता है कि नियत तिथि एवं समय पर मौके पर उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी। **नोट**-अपरिहार्य कार्य की दशा में सीमांकन की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। दि.8.11.24

राजस्व निरीक्षक
नजूल वृत्त एम.पी. नगर, जिला-भोपाल

2449